



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]
No. 470]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2014

का०आ० 550(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

बारसे रोडोडेंडरोन अभ्यारण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभ्यारण कहा गया है) सिक्किम की पश्चिमी जिले में नेपाल की सीमा से लगा एक अंतर्सीमा संरक्षित क्षेत्र है जो वानस्पतिक विशेषतया रोडोडेंडरोन और प्राणिजात का समृद्ध आश्रय स्थल है;

और कंचनजंगा पर्वत की पृष्ठभूमि के साथ संलग्न क्षेत्र में रोडोडेंडरोन पुष्पों के मेजिस्टिक व्यापक स्तर पर और अभ्यारण का मुख्य आकर्षण क्षेत्र में लाल पांडा की उपलब्धता है जो 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है;

और अभ्यारण में सूक्ष्म जलवायु की विस्तृत श्रेणी, उष्ण कटिबंधीय वनों से एक विस्तृत वनस्पतिय विविधता प्रमुख है जो अल्पाइन घास के मैदानों और उच्चतांश ढाल जो 2200 मीटर से 4100 मीटर तक परिवर्तित होती रहती है; में फैला है;

और अभ्यारण ग्रामों के चारों ओर जलाशय के रूप में और पश्चिमी सिक्किम में रंगिट नदी की सहायक नदियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है;

और संरक्षित विशाल रोडोडेंडरोन वन के साथ शिंगालीला पहाड़ी अभ्यारण का सृजन करते हैं और नम और शीत वातावरण इस वंश के आवर्धन के लिए आदर्श है तथा इपीफायटिक, आर्किड, पेटरीडोफायटस, मूसेस, लिचेंस और अकशेरुकीय किस्मों का महत्वपूर्ण पोषण स्थल है;

और लगभग 4000 मीटर से ऊंचे अल्पाइन घास के मैदान औषधीय झाड़ियों से अत्यधिक समृद्ध है और इस आश्रय स्थल में जिसे राष्ट्रीय स्तर के संरक्षण का उच्चतम स्तर दिया गया है, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशुओं की संख्या, जिसके साथ-साथ लाल पांडा (एलूरस फलजेंस), हिमालयी काला भालू (सालानरकटस थिबेटेन्स), सामान्य तेंदुआ (पेंथरा पारडस), मेघी तेंदुआ (नियोफेलिस नेबुलोसा), चीनी पेंगुइन (मेनिस पेंटाडेक्टयला) आदि अति महत्वपूर्ण हैं ;

और विविध स्थलाकृति पादपों और पशु प्रजातियों के लिए निवास की विस्तृत श्रेणी उपलब्ध कराती है और स्थलीय निवासी वनों के विभिन्न प्रकार में विभाजित हो सकते हैं जैसे चौड़ी पत्ती वन, तापमान मिश्रित वन, उप एल्पाइन शाकु वृक्ष वन, अल्पाइन झाड़िया, घास के मैदान और बंजर भूमि ;

और विभिन्न वन और रेंज भूमि पारिस्थितिकीय प्रणाली विभिन्न पादपों और पशुओं की प्रजातियां का समर्थन करती है और अभ्यारण में उपलब्ध पादपों की विभिन्न प्रजातियों में अधिकांश या तो औषधीय या सुगंधीय गुणों की निबंधनों में आर्थिक महत्व रखते हैं ;

और अभ्यारण नेपाल के खानशांगडोंगा क्षेत्र की पूर्वी दिशा और पश्चिम बंगाल के शांगलीला राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी दिशा में अवस्थित है, पश्चिमी सिक्किम में खानशांगडोंगा जैव क्षेत्र आरक्षित के साथ एक महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारा बनाता है ;

और अभ्यारण की अधिसूचित सीमा पश्चिम में नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा और उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से है;

और वन्य जीव और उसके पर्यावरण को संरक्षित, प्रचारित करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में किताम पक्षी अभ्यारण के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य में किताम पक्षी अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 25 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अभ्यारण की सीमाओं से 25 मीटर से 50 मीटर के बीच परिवर्तित होता है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 25 मीटर होगा जहां ढाल 45 डिग्री से अनधिक है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा का विस्तार नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। अभ्यारण के दक्षिण पश्चिम में और उत्तरी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रामोम नदी और सिपोक नदी के बाहरी किनारे तक होगा।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.17) की ओर 27° 14' 01" उत्तर अक्षांश और 88° 14' 26" पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.45) की ओर 27° 12' 47" उत्तर अक्षांश तथा 88° 01' 05" पूर्व देशान्तर ; उत्तर (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं. 48) की ओर 27° 17' 21" उत्तर अक्षांश और 88° 02' 31" पूर्व देशान्तर और दक्षिण (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.37) की ओर 27° 09' 05" उत्तर अक्षांश तथा 88° 08' 00" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध 1 के रूप में दिया गया है।
- (4) अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले दो ग्रामों अर्थात् ऊपरी किताम और निचला किताम इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्रमुख बिन्दुओं के साथ उनके अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध 2 में दी गई है।
- (5) उपाबंध 2 में दिए गए ग्रामों का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसका अतिरिक्त पुनः निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी।

(2) जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों, जैसे वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध, सिक्किम पुलिस, शहरी और आवास विकास, पर्यटन, ग्रामीण प्रबंध और विकास, सिचाई और बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग और भू-राजस्व

तथा आपदा प्रबंध की सहभागिता से, उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए तैयार किया जाएगा।

(3) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संग्रहण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(4) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, झीलों, अन्य जलाशयों और ठेकेदारी इकाइयों का अभ्यंकन करेगा।

(5) जोनल मास्टर प्लान सभी विधिमान्य अभिलिखित गैर वन्य भूमि के सिवाय होगा।

(6) जोनल मास्टर प्लान इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पैरा 4 में निर्दिष्ट कृत्यों के पालन के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रास्तपासंजोमास कहा गया है) के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

(7) जोनल मास्टर प्लान, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन के लिए उपायों को उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा।

(8) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि के कारण उदभूत स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट, वर्षा जल संचय, कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं, प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग, पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग किओस, रज्जुरेल इत्यादि और सुरक्षा बलों के कैंप से संबंधित क्रमशः मद सं० 12, सं० 25, सं० 26, सं० 30 और सं० 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा :

परंतु यह और कि समान रूप से जनजातीय प्रथाओं से गैर-जनजातीय प्रथाओं के लिए भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना कोई संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा।

(9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

(10) प्राकृतिक जलस्रोत--सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सुख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे।

(11) पर्यटन--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण सारणी के पैरा 3 के स्तंभ (2) के अधीन पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि और उससे संबंधित मद सं० 30 को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा ।

(12) **नैसर्गिक विरासत** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, आरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संचारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसी प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(13) **ध्वनि प्रदूषण** — पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(14) **वायु प्रदूषण** — पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(15) **बहिस्त्रावों का निस्सारण** :— पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(16) **ठोस अपशिष्ट** :— ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(17) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** — पारिस्थितिक संवेदी जोन जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(18) **यानिक यातायात परिवहन** — परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां — पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी					टिप्पणी
क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय स्थानीय निवासीयों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रतिषेध है ;
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ;

					(ख) संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी।
3.	आरा मशीनों की स्थापना।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए या विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	किसी परिसंकटमय सामग्री का उपयोग या उत्पादन।	हां	-	-	
6.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे।
7.	जलाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	हां	-	-	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संययन भी है।	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
9.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबंधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अधधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी।
10.	बिजली के तारों और दूर-संचार टावरों का परिनिर्माण।	-	हां	-	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	-	-	हां	
12.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा।
13.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना	-	हां	-	
14.	वनस्पतिक बाड़	-	-	हां	
15.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए।

	संचलन				
18.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	-	हां	-	
19.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे वन्य-जीव अभयारण क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।	हां	-	-	
20.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्जाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्जाव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्जाव के पुनर्वक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को प्रहण करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यानकृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
27.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना तुरंत प्रभाव से अनुज्ञात नहीं होगी।
28.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	-	हां	-	
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 12, मद संख्या 25, मद संख्या 30 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह उहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि	-	हां	-	
31.	सुरक्षा बल कैंप	-	हां	-	
32.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रास्तपासंजोमास), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष ;

- (ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (iii) मुख्य वन संरक्षक - क्षेत्रीय - सदस्य ;
- (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (vi) सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (vii) गोविंदवल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सिक्किम का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (viii) सिक्किम सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (ix) सिक्किम सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (x) संबंधित जिले का कलक्टर- सदस्य ;
- (xi) संबंधित प्रभागीय वन्य अधिकारी पर्यावरण - सदस्य ;
- (xii) निदेशक, पर्यावरण विभाग - सदस्य सचिव ।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।


(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

5. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या पारित किए जाने वाले, यदि कोई हों, आदेशों के अधीन होंगे ।

उपबंध- 1

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मानचित्र को दर्शित करने वाले अंतिम और विस्तारित अक्षांश और देशान्तर ।



उपाबंध-2

बारसे रोडोडेंडरोन अभ्यारण, दक्षिणी सिक्किम के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम

क्रम सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश			देशान्तर		
		डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1.	रिशी	27	13	47	88	14	38
2.	ऊपरी मुकरंग	27	15	21	88	5	58
3.	ऊपरी मांगमू	27	14	24	88	7	57
4.	बिचला बेघा	27	14	41	88	7	17
5.	निचला सांगकू	27	14	29	88	8	42
6.	ऊपरी बेघा	27	15	7	88	6	44
7.	बूरियाखोप रेंगेग	27	10	58	88	10	50
8.	ऊपरी बूरियाखोप	27	11	51	88	8	46
9.	बूरियाखोप बीचगांव	27	11	60	88	8	52
10.	निचला बूरियाखोप	27	11	40	88	9	49
11.	सिंगलिंग ओगेग	27	10	49	88	11	29
12.	बूरियाखोप घाटी	27	10	41	88	10	60
13.	दर्थेग	27	12	19	88	12	60
14.	दर्थेग सोरेनी	27	12	17	88	13	42
15.	सरीबादाम-बी	27	13	6	88	12	9
16.	सरीबादाम-ए	27	12	42	88	12	26
17.	सिंगलिंग गुपादारा	27	11	33	88	12	21
18.	बूरियाखोप नासा	27	11	7	88	8	48
19.	हटाबेन (एनडेन वोलूंग गुंपा)	27	9	5	88	7	60
20.	बूरियाखोप टेरीबीर	27	10	1	88	8	41
21.	ऊपरी रमबक	27	9	14	88	8	4
22.	ऊपरी ओखरे	27	9	21	88	6	26
23.	ऊपरी रिबदी	27	10	35	88	6	28
24.	ऊपरी भेरंग	27	10	37	88	5	42
25.	खोपी रामते	27	10	1	88	6	41
26.	टेडोंग-जौबेरी	27	14	17	88	14	12
27.	टेडोंग कालूक	27	13	52	88	14	33
28.	बारनयाक	27	14	34	88	13	48
29.	बासा सामडोंग	27	13	52	88	13	13

30.	द्वैधेग मनीदारा	27	12	4	88	13	58
31.	सिम्फक गुंबादारा	27	15	46	88	5	8
32.	लिंगयंग सोपाखा	27	15	60	88	4	11
33.	ऊपरी मारतम	27	14	48	88	13	22
34.	पीचेरेक	27	14	42	88	12	33
35.	ही पेटाल	27	14	27	88	11	18
36.	राडूखांडू	27	14	51	88	9	44
37.	ऊपरी खांडू	27	14	32	88	10	18
38.	ऊपरी सांगखू	27	14	52	88	9	18
39.	देवानी तार	27	11	47	88	13	54
40.	सेपरेयनागी	27	9	12	88	7	31
41.	चयांगबागांव	27	9	25	88	5	52
42.	निचला भेरंग	27	10	38	88	4	58

[फा.सं. 25/8/2013-ईएसजेड/आरई]

डा. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2014

S.O. 550(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Barsey Rhododendron Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary), a trans-boundary protected area bordering with Nepal in the West District of Sikkim is a rich store house of flora especially the Rhododendrons and the fauna;

And whereas, the majestic mass scale Rhododendron flowering in the region with the Mount Khangchendzonga at the back drop and the availability of red Panda in the region is the main attraction of the Sanctuary, which comprises of an area of 104 square kilometers;

And whereas, sanctuary possesses a wide range of micro climates, leading to a vast floral diversity right from the sub-tropical forest to the rolling alpine meadows and the altitudinal gradient varies from 2200 meters to 4100 meters;

And whereas, the sanctuary serves as a watershed for the surrounding villages and is a major source of tributaries of river Rangit in West Sikkim;

And whereas, to protect the magnificent Rhododendron forests along the Shingalilla ridge, the Sanctuary was created and the climate, being wet and cold, is ideal for the propagation of this genus and fosters a mind boggling variety of epiphytic orchids, pteridophytes, mosses, lichens and invertebrates;

And whereas, the alpine meadows rising from about 4000 meters are extremely rich in medicinal herbs and the major significance of the sanctuary is the number of animals specified in Schedule-I to the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) it harbors, which are given the highest level of protection at the National level, which *inter alia* include, Red Panda (*Ailurus fulgens*), Himalayan Black Bear (*Salunarctus thibetensis*), Common Leopard (*Panthera pardus*), Clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*), Chinese Pangolin (*Manis pentadactyla*) etc.

And whereas, the diverse topography provides a wide range of habitats for plant and animal species and the terrestrial habitat can be divided into various types of forests such as broadleaved forest, temperate mixed-forests, sub-alpine conifer forests, alpine shrubs, grasslands and barren land;

And whereas, the different forests and rangeland ecosystems support different plants and animal species and most of the plants species available in the sanctuary have economic value in terms of either medicinal or aromatic properties;

And whereas, the Sanctuary being located in the Eastern side of the Khangchendonga conservation area of Nepal and the Northern side of the Shingalilla National Park of West Bengal, forms an important wildlife corridor with Khangchendonga Biosphere Reserve in West Sikkim;

And whereas, the notified boundary of the Sanctuary abets the international boundary of Nepal in the West and State of West Bengal in the South-west;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to protect, propagate and develop the wildlife therein and its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 50 metres from the boundary of the Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 25 meters to 50 metres from the boundary of the Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone shall be 25 metres where the slope is less than 45 degree, the extent of Eco-sensitive Zone in the western boundary adjoining the international border with Nepal. In the South-West and in the part of Northern side of the sanctuary, the extent of Eco-sensitive Zone would be upto the outer bank of the river Rammom and river Simpok.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27° 14' 01" N latitude and 88° 14' 26" E longitude towards East (**Reference point No. 17 of map**); 27° 12' 47" N latitude and 88° 01' 05" E longitude towards west (**Reference point No. 45 of map**); 27° 17' 21" N latitude and 88° 02' 31" E longitude towards north (**Reference point No. 48 of map**) and 27° 09' 05" N latitude and 88° 08' 00" E longitude towards south (**Reference point No. 37 of map**).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The list of villages falling within the Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points is appended to this notification as **Annexure II**.

(5) The villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**- (1) For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Forest, Environment and Wildlife Management, Sikkim Police, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Management and Development, Irrigation and Flood Control, Public Works Department and Land Revenue and Disaster Management for integrating ecological and environmental considerations into the said plan.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(5) The Zonal Master Plan shall exempt all legally recorded non- forestland.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

(7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in paragraph 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 relating to rainwater harvesting, Cottage industries including village artisans, etc., Small scale industries not causing pollution, Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. and Security Forces Camp respectively specified under column (2) of the Table in paragraphs 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(2 of 2007).

(9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) **Natural Springs.**- The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural settings shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) **Tourism.**- The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) no new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No.30 relating to Eco Tourism Facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. specified under column (2) of the table in paragraph 3;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the SESZMC;

(iv) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) **Natural Heritage.**- The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved and the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) **Noise pollution.**- The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(14) **Air Pollution.**-The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(15) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(16) **Solid Wastes.**- (i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(17) **Bio-medical Waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 issued by the Central Government *vide* notification number - S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(18) **Vehicular Traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulations for the time being in force.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) the extraction of surface water and ground water for

811 GI/14-4

					industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
9.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydroelectric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the micro hydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
10.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
12.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
14.	Vegetative fencing			Yes	
15.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
18.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Yes	-	-	

20.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
21.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
26.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, which do not cause any adverse impact on environment.
27.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within of Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP)	-	Yes	-	
29.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, 25, 30 and 31. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	
31.	Security Forces Camp	-	Yes	-	
32.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	

4. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Sikkim which shall comprise of:-

- (i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman;
- (ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Shillong –Member;
- (iii) Chief Conservator of Forests -Territorial- Member;
- (iv) Representative from State Pollution Control Board-Member;


- (v) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim – Member;

- (vi) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim – Member;
- (vii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim– Member;
- (viii) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member;
- (ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member;
- (x) Concerned District Collector-Member;
- (xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment –Member;
- (xii) Director, Department of Environment–Member Secretary;

- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes any of the provisions of this notification.
 - (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



811 GZ 114-5

Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Barsey Rhododendron Sanctuary, South Sikkim.

Sl.No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Rishi	27	13	47	88	14	38
2.	Upper Mukrung	27	15	21	88	5	58
3.	Upper Mangmoo	27	14	24	88	7	57
4.	Middle Begha	27	14	41	88	7	17
5.	Lower Sangkhu	27	14	29	88	8	42
6.	Upper Begha	27	15	7	88	6	44
7.	Buriakhop-Rengeng	27	10	58	88	10	50
8.	Upper Buriakhop	27	11	51	88	8	46
9.	Buriakhop-Bichgaon	27	11	60	88	8	52
10.	Lower Buriakhop	27	11	40	88	9	49
11.	Singling Ogeng	27	10	49	88	11	29
12.	Buriakhop-Ghattey	27	10	41	88	10	60
13.	Deythang	27	12	19	88	12	60
14.	Deythang-Saureni	27	12	17	88	13	42
15.	Sribadam-B	27	13	6	88	12	9
16.	Sribadam-A	27	12	42	88	12	26
17.	Singling Gupadara	27	11	33	88	12	21
18.	BuriakhopNasa	27	11	7	88	8	48
19.	Hattaban (AndenWolungGumpa)	27	9	5	88	7	60
20.	Buriakhop-Tareybir	27	10	1	88	8	41
21.	Upper Rumbuk	27	9	14	88	8	4
22.	Upper Okherey	27	9	21	88	6	26
23.	Upper Ribdi	27	10	35	88	6	28
24.	Upper Bhareng	27	10	37	88	5	42
25.	KhopiRametay	27	10	1	88	6	41
26.	Tadong -Jaubari	27	14	17	88	14	12
27.	TadongKaluk	27	13	52	88	14	33
28.	Barnyak	27	14	34	88	13	48
29.	Bara Samdong	27	13	52	88	13	13
30.	Deythang-Maneydara	27	12	4	88	13	58
31.	Simphok-Gumbadara	27	15	46	88	5	8
32.	LingyangSopakha	27	15	60	88	4	11
33.	Upper Martam	27	14	48	88	13	22
34.	Pecherek	27	14	42	88	12	33

35.	HeePatal	27	14	27	88	11	18
36.	Radukhandu	27	14	51	88	9	44
37.	Upper Khandu	27	14	32	88	10	18
38.	Upper Sangkhu	27	14	52	88	9	18
39.	Dewani Tar	27	11	47	88	13	54
40.	Sapreynagi	27	9	12	88	7	31
41.	Chyangbagaon	27	9	25	88	5	52
42.	Lower Bhareng	27	10	38	88	4	58

[F.No. 25/8/2013-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'